

[2024] 7 एस.सी.आर 246:2024 आई.एन.एस.सी 465

**निपुण मल्होत्रा**

**बनाम**

**सोनी पिक्चर्स फिल्मस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अन्य अन्य।**

(सिविल अपील सं. 7230/2024)

08 जुलाई 2024

**[भा.मु.न्या. डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़\* और न्या. जे.बी. पारदीवाला।]**

### **विचारार्थ मुद्दा**

अपीलार्थी आर्थोग्रिपोसिस से पीड़ित व्यक्ति है और जिस तरह से फिल्म 'आंख मिचोली' में विकलांग व्यक्तियों को चित्रित किया गया है, उससे व्यथित है। अपीलार्थी विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत बोर्ड और सलाहकार समिति की संरचना और वर्तमान फिल्म के कुछ हिस्सों को भी बीप करने की सिफारिशों के संबंध में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दिशा-निर्देश चाहता है। विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों में फिल्मों के प्रमाणन और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों का प्रभाव शामिल है।

### **शीर्ष टिप्पण\***

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- अपीलार्थी वर्तमान फिल्म के कुछ हिस्सों को भी बीप करने के लिए सिफारिशें चाहता है:

**अभिनिर्णित किया गया:** यह न्यायालय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ निकाय के निर्धारण में धीमी हस्तक्षेप का समर्थन करता है, विशेष रूप से एक फिल्म की प्रदर्शनी की अनुमति देने के लिए- यह बोर्ड का काम है कि वह दृश्य मीडिया द्वारा सामाजिक बुराइयों के अनुमेय और अस्वीकार्य चित्रण के बीच की रेखा बनाए और यह सुनिश्चित करें कि दिशानिर्देशों को उसी के लिए व्यापक मानकों के रूप में पढ़ा जाए- वर्तमान मामले में प्रमाणन का तात्पर्य है कि बोर्ड ने पाया कि फिल्म का समग्र संदेश दिशानिर्देशों और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के अनुसार था- यह न्यायालय फिल्म के कुछ हिस्सों को बीप साउंड से बाधित करने की सिफारिश करके इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, विशेष रूप से फिल्म में एक अस्वीकरण समावेश पर विचार करते हुए। [अनु. 72.1]

**सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- अनुशंसा है कि सोनी पिक्चर्स आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम की धारा 7(घ) के अनुसार एक जागरूकता फिल्म बनाए:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** सोनी पिक्चर्स द्वारा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम की धारा 7(घ) के अनुसार एक जागरूकता फैलाने वाली फिल्म बनाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है- धारा 7(घ) उपयुक्त सरकार की ओर निर्देशित है- इस न्यायालय ने रेखांकित किया है कि उचित समायोजन के सिद्धांत में विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करने और उनकी पूर्ण भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी पक्षकारों के सकारात्मक दायित्व शामिल हैं, यह न्यायालय इस बात से

सहमत नहीं है कि धारा 7(घ) में निजी व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा दायित्व शामिल है-अन्यथा भी, इस तरह का निर्देश जबरन बोलने के बराबर होगा- इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इस तरह के जबरन भाषण की अनुमति दी गई है, हालांकि वर्तमान से बहुत अलग संदर्भ में- वर्तमान मामले में मांगी गई सिफारिश जागरूकता फैलाने के वैधानिक जनादेश के आधार पर एक पूरी तरह से अलग फिल्म के निर्माण के लिए है जो सोनी पिक्चर्स जैसी निजी संस्था के प्रति भी निर्देशित नहीं है- विकास कुमार में उल्लिखित सकारात्मक दायित्व को अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए तरीके से बोलने के लिए मजबूर करने के लिए इतना विस्तारित नहीं किया जा सकता है।  
[अनु. 72.2]

**सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024- बोर्ड और सलाहकार समितियों में विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करना:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** बोर्ड और सलाहकार समितियों में विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करने पर, इस न्यायालय का मानना है कि इस क्षेत्र में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम द्वारा पर्याप्त रूप से कब्जा कर लिया गया है और 1983 और 2024 के प्रमाणन नियम हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं- 1983 के नियमों के तहत, बोर्ड फिल्मों के प्रति जनता की प्रतिक्रियाओं का आकलन करने के लिए कदम उठा सकता है- परीक्षा समिति को अपने सदस्यों के रूप में महिलाओं को शामिल करना चाहिए 1983 के नियमों और 2024 के नियमों में एक विषय वस्तु

विशेषज्ञ के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है: परीक्षा समिति की अंतिम रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर अध्यक्ष को भेजी जाती है, जब तक कि समिति को नहीं लगता कि विशेषज्ञ की राय आवश्यक है- उस मामले में, वह एक अस्थायी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विशेषज्ञ की राय ले सकती है- 2024 प्रमाणन नियम एक कदम आगे जाती है और यह प्रावधान करती है कि एक क्षेत्रीय अधिकारी परीक्षा समिति या पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्म की जांच के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है। [अनु. 72.3]

**सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024- विकलांग व्यक्ति का अपमानजनक चित्रण:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** बोर्ड को यह तय करना चाहिए कि क्या एक अपमानजनक चित्रण समग्र संदेश द्वारा भुनाया गया है या नहीं-इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें हितों का एक जटिल संतुलन शामिल है - यह आदर्श होगा यदि वैधानिक निकायों में विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल हों - 2024 के नियम इस सिद्धांत की स्वागत योग्य स्वीकृति हैं और विकलांगता पर विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ परामर्श निश्चित रूप से बोर्ड के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से सूचित करेगा - अधिनियम और नियमों में अंतर्निहित नीति पहले से ही विशेषज्ञ परामर्श के लिए जिम्मेदार है - यह न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

क्योंकि यह बेहतर हो सकता है या एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है, जब ऐसी नीति की वैधता प्रश्न में नहीं है। [पैरा 72.5]

**सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024- अपीलार्थी ने संविधान और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की है:**

**अभिनिर्धारित:** अधिनियम के तहत दिशानिर्देश काफी व्यापक हैं और कार्य क्षेत्र को कवर करते हैं- ऐसे निर्देश विधायी अंतराल को भरने के लिए जारी किए जाते हैं- यदि अनुमति दी जाती है, तो ऐसे दिशानिर्देश एक अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने के समान होंगे अर्थात् आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 को दूसरे अधिनियम में, जो कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम है, भले ही बाद वाले को इस मुद्दे पर कोई कमी न हो, और वैधानिक विशेषज्ञ निकाय को पहले वाले के प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है- न्यायालय वैसे भी नीति-निर्माण में सेंध नहीं लगा सकती हैं। [अनु. 72.6]

**भारत का संविधान- अनु. 19- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के मूल अधिकार अधिनियम 2016- सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 - सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 - दृश्य मीडिया में विकलांग व्यक्तियों के चित्रण की एक रूपरेखा का प्रावधान जो संविधान के साथ-साथ**

**आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के उद्देश्यों की पुष्टि करने वाले भेदभाव विरोधी और गरिमा के साथ मेल खाता है।**

**अभिनिर्धारित किया गया:** विकलांग व्यक्तियों के चित्रण को उनके चित्रण के वस्तुनिष्ठ सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए न कि विकलांग व्यक्तियों को हाशिए पर पहुँचाना चाहिए:

(i) शब्द संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं- व्यक्तियों के बारे में सामाजिक धारणाओं में “अपंग” और “स्पास्टिक” जैसे शब्दों का अवमूल्यन हुआ है-वे नकारात्मक आत्म-छवि में योगदान करते हैं और समाज में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और प्रथाओं को बनाए रखते हैं; (ii) ऐसी भाषा जो हानि को व्यक्तिगत करती है और अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं को नजरअंदाज करती है (जैसे “दुखी”, “पीड़ा” और “विपत्ति ग्रस्त” जैसे शब्दों से बचना चाहिए या सामाजिक मॉडल के विपरीत पर्याप्त रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए; (iii) रचनाकारों को यथासंभव एक चिकित्सा स्थिति के सटीक चित्रण की जांच करनी चाहिए- रतौंधी जैसी स्थिति का भ्रामक चित्रण स्थिति के बारे में गलत सूचना को कायम रख सकता है और इस तरह के विकलांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को जोड़ सकता है, जिससे विकलांगता और उत्तेजक हो जाती है; (iv) विकलांग व्यक्तियों का चित्रण कम होता है- औसतन लोग विकलांग व्यक्तियों की बाधाओं से अनजान होते हैं- दृश्य मीडिया को उनके जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करना चाहिए- उनके चित्रण को उनके जीवन की वास्तविकताओं के बहुआयामों को चित्रित करना चाहिए और यह एक आयामी चित्रण नहीं होना चाहिए, एबिलिस्ट चित्रण नहीं होना चाहिए; (v) दृश्य मीडिया को विकलांग व्यक्तियों की

विविध वास्तविकताओं को चित्रित करने का प्रयास करना चाहिए, न केवल उनकी चुनौतियों, बल्कि उनकी सफलताओं, प्रतिभाओं और समाज में उनके योगदान को भी प्रदर्शित करना चाहिए- यह संतुलित चित्रण रूढ़िवादिता को दूर करने और विकलांगता की अधिक समावेशी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है; (vi) उन्हें न तो मिथकों के आधार पर प्रकाश डाला जाना चाहिए (जैसे, 'अंधे लोग अपने रास्ते में चीजों से टकरा जाते हैं') और न ही दूसरी तरफ 'अति-विकलांग' के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए- इस रूढ़िवादिता का तात्पर्य है कि विकलांग व्यक्तियों में असाधारण वीरतापूर्ण क्षमताएँ होती हैं; (vii) निर्णय लेने वाले निकायों को भागीदारी के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए- 'हमारे बारे में कुछ भी नहीं, हमारे बिना' का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसरों के समानता पर आधारित है- इसे वैधानिक समितियों के गठन में व्यवहार में लाया जाना चाहिए और फिल्मों के समग्र संदेश और सिनेमाटोग्राफ अधिनियम और नियमों के तहत व्यक्तियों की गरिमा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की राय आमंत्रित की जानी चाहिए; (viii) सीपीआरडी को इसके अनुरूप चित्रण को प्रोत्साहित करने के उपायों के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों के साथ परामर्श और भागीदारी की भी आवश्यकता है; (ix) लेखकों, निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं सहित दृश्य मीडिया सामग्री बनाने में शामिल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए- इन कार्यक्रमों को सार्वजनिक धारणाओं और विकलांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों पर उनके चित्रण के

प्रभाव पर जोर देना चाहिए- विषयों में विकलांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धांत, सम्मानजनक भाषा का महत्व और सटीक और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए।  
[अनु. 74]

**सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- विकलांगता पर हास्य और दुर्बल होता हास्य:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** हास्य और अक्षमता को असहज साथी के रूप में देखा जाता है- यह मुख्य रूप से अक्षमता का मजाक उड़ाने के लिए हास्य के ऐतिहासिक उपयोग के कारण है, विकलांग व्यक्तियों की कीमत पर चुटकुले बनाते हैं और उन्हें कॉमिक रिलीफ के लिए उपयोग करते हैं- इस न्यायालय को 'दुर्बल करने वाले हास्य' में अंतर करना चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों को 'विकलांग हास्य' से नीचा दिखाता है और अपमानित करता है जो 'विकलांगता के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है- जबकि विकलांगता पर हास्य अक्षमता को बेहतर ढंग से समझने और समझाने का प्रयास करता है, दुर्बल करने वाला हास्य उसे कलंकित करता है- दोनों को गरिमा पर उनके प्रभाव और विकलांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं में समान नहीं किया जा सकता है। [अनु. 66]

**भारत का संविधान- अनु. 19(1)(क)- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, उचित प्रतिबंध का एक उदाहरण है:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** एक फिल्म निर्माता का फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, जो अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है-सिनेमेटोग्राफ अधिनियम अनुच्छेद 19(2) के 'शालीनता और नैतिकता' के तहत इस अधिकार पर उचित प्रतिबंधों का एक उदाहरण है- अधिनियम के तहत पूर्व प्रमाणन को सिनेमाई संवाद पर एक वैध प्रतिबंध माना गया है क्योंकि इसकी 'तत्काल अपील' और अन्य कलात्मक मीडिया की तुलना में भावनाओं को अधिक गहराई से भड़काने की योग्यता है। [अनु. 22]

**भारत का संविधान- अनु. 19(1)(क) और अनुच्छेद 19(2)- सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952- फिल्मों पर प्रतिबंध- सिद्धांत:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** फिल्मों पर प्रतिबंध सम्यक प्रक्रिया, सामाजिक हित, आत्यन्तिक आवश्यकता के मामलों में सीमित अनुप्रयोग और संयम के स्पष्ट उद्देश्य के सिद्धांतों पर आधारित हैं- सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्म की योग्यता तय करते समय जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फिल्म के सामाजिक प्रभाव को उचित समझ वाले एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाता है न कि एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति के; (iii) रूढ़िवादी धारणाओं या सही और नैतिक के बजाय सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखा जाना चाहिए; और (iv) फिल्म को इसके समग्र संदेश से आंका जाना चाहिए न कि सामाजिक बुराईयों के अलग-अलग चित्रण से। [अनु. 25]

## विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016- मूल उद्देश्य:

अभिनिर्धारित किया गया: आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम एक चैरिटी लेंस द्वारा विकलांगता को देखने से मानवाधिकार के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का चित्रण करता है- इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखते हुए सशक्त बनाना है- यह अधिनियम व्यापक रूप से गैर-भेदभाव, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सभी व्यक्तियों के समावेश के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, मतभेदों के सम्मान और मानव विविधता के अभिन्न अंग के रूप में विकलांगों की स्वीकृति पर जोर देता है- यह अवसर, उपलब्धता, लैंगिक समानता और विकलांग बच्चों की विकसित क्षमताओं की मान्यता को सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी पहचान बनाए रखने का उनका अधिकार सुनिश्चित होता है। [अनु. 38]

न्यायशास्त्र- अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र- विकलांग व्यक्तियों- चर्चित।

न्यायशास्त्र- भारतीय न्यायशास्त्र मानवाधिकार का दृष्टिकोण- विकलांग व्यक्तियों- चर्चित।

### उद्धृत निर्णयज विधि

*बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून* [1996] पुर. 2 एससीआर 136: (1996) 4 एससीसी 1; *महानिदेशक, महानिदेशालय दूरदर्शन व अन्य बनाम आनंद पटवर्धन* [2006] पुर. 5 एससीआर 403: (2006) 8 अन्य सीसी 433; *एस रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम और अन्य* [1989] 2 एससीआर 204: (1989) 2 एससीसी 574; *भारत संघ बनाम*

के.एम. शंकरप्पा [2000] 5 पूर. एससीआर 117: (2001) 1 एससीसी 582; प्रकाश झा बनाम भारत संघ [2011] 10 एससीआर 496: (2011) 8 एससीसी 372; के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ 2 एससीआर 446: (1970) 2 एससीसी 780; रमेश बनाम भारत संघ (1988) 1 एससीआर 1011 : (1988) 1 एससीसी 668; नचिकेता वल्हेकर बनाम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (2018) 1 एससीसी 778; अनुज गर्ग बनाम भारतीय होटल संघ (2007) 12 एससीआर 991 : (2008) 3 एससीसी 1; नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) 7 एससीआर 379: (2018) 10 एससीसी 1; भारतीय युवा अधिवक्ता संघ बनाम केरल राज्य [2018] 9 एससीआर 561 : (2019) 11 एससीसी 1; विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग [2021] 12 एससीआर 311 : (2021) 5 एससीसी 370; जीजा घोष बनाम भारत संघ [2016] 4 एससीआर 638; राजीव रतुरी बनाम भारत संघ [2017] 12 एससीआर 827 : (2018) 2 एससीसी 413; रवींद्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ [2016] 4 एससीआर 638: सकल पेपर्स (पी) लिमि. बनाम भारत संघ [1962] 3 एससीआर 842 : (1962) 3 एससीआर 842; मेनका गांधी बनाम भारत संघ [1978] 2 एससीआर 621 : (1978) 1 एससीसी 248; इंडिबली क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल सरकार [2019] 5 एससीआर 679 : 2020 12 एससीसी 436; संद. ध्वनि प्रदूषण [2005] 1 पूर. एससीआर 624 में. (2005) 5 एससीसी 733; केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (सिविल अपील सं. 10044/2010); भारत संघ बनाम मोशन पिक्चर्स

एसोसिएशन [1999] 3 एससीआर 875 : (1999) 6 एससीसी 150; राज कपूर बनाम राज्य [1980] 1 एससीआर 1081 : (1980) 1 एससीसी 43; फिल्म समारोह निदेशालय बनाम गौरव अश्विन जैन [2007] 5 एससीआर 7 : (2007) 4 एससीसी 737; पद्म सुंदरा राव बनाम तमिलनाडु राज्य [2002] 2 एससीआर 383 : (2002) 3 एससीसी 533; पंजाब राज्य बनाम सलिल सभलोक [2013] 5 एससीआर 18 : (2013) 5 एससीसी 1; पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य [2002] 3 एससीआर 60 : (2002) 4 एससीसी 578; जनगणना आयुक्त बनाम आर. कृष्णमूर्ति [2014] 11 एससीआर 463 : (2015) 2 एससीसी 796- से संदर्भित।

ग्लोर बनाम स्विट्जरलैंड 13444/04, अनु. 53; बैचर बनाम ऑस्ट्रिया (026/2014), सीआरपीडी/सी/19/डी/26/2014, अनु. 3.3-को संदर्भित करता है।

एफ.ए. पिक्चर इंटरनेशनल बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (2004) एससीसी ऑनलाइन बॉम 961 को संदर्भित किया गया।

### उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

माधवी गोराडिया दीवान, फेसेट्स ऑफ मीडिया लॉ, दूसरा संस्करण पृष्ठ 284-285; माधवी दीवान, 'मोरैलिटी, ओब्सीनिटी एंड सेंसरशिप', सुप्रीम कोर्ट के मामले (जर्नल), खंड 1 (2003), 1-16; रонаल्ड इवोर्किन, प्रस्तावना, हरे और वेनस्टीन में, संस., एक्सट्रीम स्पीच एंड डेमोक्रेसी, v-ix. जैसा कि जेरेमी वाल्ड्रोन से उद्धृत, द हार्म इन हेट स्पीच, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स लंदन, इंग्लैंड (2012), पृष्ठ 175 में उद्धृत किया गया है; जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी (पेंगुइन बुक्स, 1982) [99,106] जैसा कि जेरेमी वाल्ड्रोन, द हार्म इन हेट स्पीच, पृष्ठ 194,197 में उद्धृत किया गया है; कॉलिन बार्न्स, डिसेब्लिंग इमेजरी एंड द मीडिया, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स फॉर मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल, द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ ओर्गेनाइजेशनस ऑफ डिसेबल्ड पीपल, भाग दो: कॉमनली रिकरिंग मीडिया रूढ़िवादिता (1992); अंधरद ई. बेकेट, सिटिजेंशिप एंड वल्लरिबिलिटी: डिसेबिलिटी एंड इशुस ऑफ सोशल एंड पौलिटिकल इंगेजमेंट, पालग्रेव मामिलन (2006); कॉलिन बार्न्स एट अल., एक्सप्लोरिंग डिसेबिलिटी| ए सोशियोलॉजिकल इंट्रोडक्शन, कैम्ब्रिज, पॉलिटी प्रेस, (1999) पेज 10; एलन सदरलैंड, डिसेबल्ड वी स्टैंड, लंदन: सुवेनेग्र प्रेस (1981); टेरेसा मिलब्रोइट, टुडे आय हैड एन आय अपॉइंटमेंट, एंड आय एम् स्टिल ब्लाइंड” क्रिप ह्यूमर, स्टोरीटेलिंग, एंड नैरेटिव पोजिशनिंग ऑफ द डिसेबल्ड सेल्फ, डिसएबिलिटी स्टडीज क्वार्टरली, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, कोलंबिया, वॉल्यूम 38 (2018) [11]; टॉम शेक्सपियर, जॉकिंग ए पार्ट, बॉडी एंड सोसाइटी, (1999) वॉल्यूम 5(4), 47-55 जैसा कि काइंडा अबुजबराह, लाफिंग बैक: अ फेनोमेनोलोगिकल स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी ह्यूमर युसिंग कल्चरली रेस्पॉसिव मेथडोलोजीस में उद्धृत किया गया है: (डॉक्टरल डिसर्टेशन) (2019); द हैंडबुक फॉर पर्सनल्लैटिड्स ऑन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल, फ्रॉम एक्स्क्लुशन टू इक्वालिटी: रियलाईजिंग द राइट्स ऑफ पर्सन्स

विद डिसेबिलिटीस (2007); संयुक्त राष्ट्र ने डब्ल्यू.पी.ए. को अपनाया, और उसी समय विकलांग व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र दशक, 1983-1992 की घोषणा की। पॉल हरपुर, 'फ्रॉम डिसेबिलिटी टू एबिलिटी: चेंजिंग द फ्रेसिंग ऑफ डिबेट (2012) 27 (3) डिसेबिलिटी & सोसायटी 325, 327 ; यूनाइटेड नेशंस, इम्प्रूविंग कॉम्युनिकेशनस अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीस (रेकमंडेशंस ऑफ अ यूनाइटेड नेशंस सेमिनार 8-10 जून 1982, वियना), अ. 5: एलिसन हॉबगुड और डेविड वुड, डिसेबिलिटी ह्यूमर एंड द मीनिंग्स ऑफ इम्पेयरमेंट इन अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड, हॉबगुड, रिकवरिंग डिसेबिलिटी इन अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड। द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013; शॉन बिंघम और सारा ग्रीन, एस्थेटिक एस एनालिसिस: सिंथेसाइजिंग थेयोरिस ऑफ ह्यूमर एंड डिसेबिलिटी थ्रू स्टैंड-अप कॉमेडी, ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी, वॉल्यूम 40(3), 1,6 (2016); 7 माइक ओलिवर, द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी: थर्टी इयर्स ऑन, डिसेबिलिटी एंड सोसाइटी, 28(7), 1024-1026; टेरेसा मिलब्रोड्ट, टुडे आय हैड एन आय अपॉइंटमेंट, एंड आय एम् स्टिल ब्लाइंड" क्रिप ह्यूमर, स्टोरीटेलिंग, एंड नैरेटिव पोजिशनिंग ऑफ द डिसेबल सेल्फ, डिसएबिलिटी स्टडीज क्वार्टरली, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी-कोलंबिया वॉल्. 38 नं. 2 (2018); रॉबिन स्मिथ और मारा शापोन-शेविन, डिसेबिलिटी ह्यूमर, इन्सल्ट्स, एंड इन्क्लूसिव प्रैक्टिस सोशल एडवोकेसी एंड सिस्टमस चेंज, 1(2), 2008-2009; "नथिंग विदाउट अस, विदाउट अस", इंटरनैशनल डेय ऑफ डिसेबल पर्सन्स: थीम्स एंड ओब्सर्वेस ऑफ प्रीवियस यीर्स, यूनाइटेड नेशंस (2004)-से संदर्भित।

## वेबसाइटें

<https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-disabling-imagery.pdf>

<https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Sutherland-CHAPTER6.pdf>

<https://dsq-sds.org/index.php/dsq/article/view/6163/4902>

<https://web.archive.org/web/20200506223854id />

[https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=education\\_dissertations](https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=education_dissertations)

<https://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf>

<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no6-equality-and-non-discrimination>

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Disabilities\\_training\\_17EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Disabilities_training_17EN.pdf)

[https://muse.jhu.edu/pub/30/oa\\_monograph/chapter/897500](https://muse.jhu.edu/pub/30/oa_monograph/chapter/897500)

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0160597615621594>

<https://sites.cortland.edu/sasc/wp-content/uploads/sites/12/2012/12/Disability-Humor-Final.pdf>

<https://www.un.org/esa/socdev/enable/iddp2004.htm#:~:test=The%20motto%20%E2%80%9CNothing%20About%20Us,and%20with%20persons%20with%20disabilities>

### अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952; विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016; सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983; सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024।

### मुख्य शब्दों की सूची

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क); भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(2); विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 7(घ); विकलांग व्यक्ति; फिल्मों के प्रमाणन पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का प्रभाव; उचित समायोजन का सिद्धांत; विकलांगता पर विशेषज्ञ; फिल्म की जांच के लिए विशेषज्ञ; हितों का जटिल संतुलन; कमजोर और अस्थिर; विकलांग व्यक्तियों के बारे में सामाजिक धारणाएं; नकारात्मक आत्म-छवि और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बनाए रखना; ऐसी भाषा जो अक्षमता को व्यक्तिगत करती है; एक चिकित्सा स्थिति का सटीक चित्रण; किसी स्थिति का भ्रामक चित्रण; विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाएं; दृश्य मीडिया; विकलांग व्यक्तियों की विविध वास्तविकताओं को प्रदर्शित करना; विकलांगों की समावेशी समझ

को बढ़ावा देना; विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देना; अवसरों का समानीकरण; फिल्मों के समग्र संदेश का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ की राय; उपायों के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी; प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम; विकलांग व्यक्तियों के जीवित अनुभव; विकलांगों के सामाजिक मॉडल के सिद्धांत; सम्मानजनक भाषा का महत्व; विकलांग व्यक्तियों का सटीक और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण; हास्य और विकलांग व्यक्ति; विकलांगता पर हास्य; दुर्बल हास्य; सिनेमेटोग्राफ अधिनियम अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों का एक उदाहरण है; फिल्मों पर प्रतिबंध; सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत, सामाजिक हित; अवसर की समानता; लैंगिक समानता; विकलांग बच्चों की विकसित क्षमताओं की मान्यता, उनकी पहचान बनाए रखने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करना।

### मामला उद्भूत होता है

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7230/2024

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय में रि.या.(सि.) सं. 522/2024 के के निर्णय और आदेश दिनांक 15.01.2024 से

### पक्षकारगन हेतु उपस्थितियाँ

जय अनंत देहादराई, पुलकित अग्रवाल, सुधांशु कौशेष, सिद्धार्थ शर्मा, मोहम्मद तसनीमुल हसन, मार्टिन जॉर्ज, प्रशांत कुमार, मोहम्मद अनस चौधरी, मोहम्मद शरयाब अली, ज़ाहिद अली, विभु टंडन, अवनीश चतुर्वेदी, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, महा सालिसिटर, पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, रितिन राय, अलीपक बनर्जी, करिश्मा कार्तिक, साल्वादोर संतोष रेबेलो, राघव शर्मा, सुश्री कृतिका गोवर, जसकीरत पाल सिंह, प्रतीक तन्मय, माधव सिंहल, श्रीमती संस्कृति पाठक, मयंक पांडे, श्रीमती आरुषि सिंह, अमरीश कुमार, प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्तागण।

## उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

### निर्णय

**डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भा.मु.न्या.**

### विषय-वस्तु\*

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| क. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि .....                                                       | 3  |
| ख. उच्च न्यायालय .....                                                             | 6  |
| ग. विधायी ढांचा .....                                                              | 7  |
| I. 1991 के दिशानिर्देश .....                                                       | 10 |
| II. अनुच्छेद 19(1)(क) और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम .....                               | 11 |
| घ. भाषण का विषय-वस्तु.....                                                         | 14 |
| I. दुर्बल होती कल्पना : मीडिया में विकलांग व्यक्तियों<br>का रूढ़िवादी चित्रण ..... | 15 |
| II. गरिमा और गैर-भेदभाव के विरोध के<br>रूप में रूढ़िवादिता .....                   | 17 |
| III. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की रूपरेखा .....                              | 18 |
| IV. अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र .....                                              | 20 |
| 1. समानता और गैर-भेदभाव .....                                                      | 22 |
| 2. जागरूकता बढ़ाना .....                                                           | 24 |
| v. भारतीय न्यायशास्त्र मानवाधिकार दृष्टिकोण के साथ<br>संरेखित होता है। .....       | 28 |
| ड. भाषण को हाशिए पर स्थित लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं                            |    |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| डालना चाहिए और उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए ..... | 30 |
| च. केवियट: विकलांगता पर हास्य बनाम दुर्बल बनाता हास्य .....   | 31 |
| छ. वर्तमान मामला .....                                        | 33 |

1. अनुमति प्रदानित।
2. अपीलार्थी एक ऐसे संगठन का संस्थापक है जो विकलांगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, नीति अनुसंधान करता है और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। अपीलार्थी आर्थोग्रिपोसिस से पीड़ित व्यक्ति है और जिस तरह से फिल्म 'आंख मिचोली' में विकलांग व्यक्तियों को चित्रित किया गया है, उससे व्यथित है।
3. अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 जनवरी 2024 के निर्णय से उत्पन्न होती है जिसके द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

#### क. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4. अपीलार्थी ने 6 अक्टूबर 2023 को पहले प्रत्यर्थी, सोनी पिक्चर्स को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें उनकी फिल्म के ट्रेलर पर आपत्तियां उठाई गईं। अपीलार्थी विशेष रूप से फिल्म के कुछ पात्रों के परिचय से व्यथित था जिन्हें शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित दिखाया गया था। सोनी पिक्चर्स ने 17 अक्टूबर 2023 को नोटिस का जवाब दिया। यह फिल्म 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से 'यू' प्रमाणन के साथ रिलीज़ की गई थी।
5. अपीलार्थी का दावा है कि यह फिल्म विकलांग व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का

उल्लंघन करती है। अपीलार्थी दावा करता है कि केंद्रीय बोर्ड फिल्म प्रमाणन ने लागू दिशानिर्देशों के अनुसार फिल्मों को प्रमाणित करने के अपने वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है।

6. इसलिए उन्होंने निर्देश मांगे:

- (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत गठित इसके सलाहकार पैनल के भीतर विकलांगता पर एक विशेषज्ञ को शामिल करना अनिवार्य करना;
- (ii) सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की खंड 3 के तहत विशेषज्ञ को शामिल करना अनिवार्य करना;
- (iii) पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ राहत की मांग करना, जिसमें दंडात्मक नुकसान भी शामिल है; और
- (iv) प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से सार्वजनिक माफी।

7. अपीलार्थी ने ट्रेलर के साथ-साथ फिल्म में ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहाँ कुछ चिकित्सा स्थितियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और विकलांग व्यक्तियों के पात्रों के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है। (क) रतौंधी की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करना; और (ख) अपमानजनक टिप्पणियाँ (i) अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति को “भूलक्कड़ बाप”, (ii) श्रवण बाधित व्यक्ति को “साउंडप्रूफ सिस्टम” और (iii) बोलने में दिक्कत वाले पात्र को “अटकी हुई कैसेट” इनमें शामिल हैं। अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि फिल्म विभिन्न विकलांग व्यक्तियों के एक परिवार को चित्रित करती है और एक ‘सामान्य परिवार’ के रूप में सामने आने के लिए अपनी अक्षमताओं को छिपाने के उनके प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमती है। मुख्य महिला पात्र

एक ऐसा व्यक्ति है जिसे नाइक्टलोपिया या रतौंधी होती है जबकि मुख्य पुरुष पात्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हेमेरालोपिया होता है, जो उज्ज्वल प्रकाश में स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता है। फिल्म की कहानी मुख्य पात्रों के दो परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक वैवाहिक गठबंधन की व्यवस्था के लिए अपनी कमियों को छिपाते हैं।

8. अपीलार्थी ने कहा है कि फिल्म का निरूपण आमतौर से दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक है और ये संदेश देता है कि उन्हें विवाह हेतु जीवनसाथी पाने के लिए अपनी दुर्बलताओं को छिपाना पड़ेगा। अपीलार्थी ने आगे आग्रह किया है कि फिल्म (i) विकलांग व्यक्तियों के अपने गुमराह चित्रण के साथ रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करती है, जिससे उनके खिलाफ गलत धारणाएं, पूर्वाग्रह और पक्षपात पैदा होते हैं; (ii) इस विचार को बढ़ावा देता है कि विकलांग व्यक्ति असमान हैं; (iii) उन्हें कॉमिक रिलीफ के विषयों के रूप में प्रस्तुत करता है; (iv) उपहास का वातावरण बनाता है; (iv) विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति पैदा नहीं करता है; और (v) विकलांगों के समावेशी और सटीक चित्रण को बढ़ावा देने में विफल रहता है। जवाब में, सोनी पिक्चर्स ने कहा कि फिल्म का समग्र संदेश 'विकलांगता की चुनौती पर काबू पाने' का था; फिल्म में विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों को चित्रित करने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने जवाब में दावा किया कि फिल्म में इस विचार को हटाने की कोशिश की गई है कि विकलांगता एक परिपूर्ण जीवन में बाधा डालती है। जवाब में आगे कहा गया है कि (i) ट्रेलर में पात्रों का परिचय बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित है; (ii) फिल्म पात्रों पर दया नहीं करती है या

उन्हें नीचा नहीं देखती है, बल्कि उनके कर्तृत्व और कौशल को दर्शाती है; (iii) चित्रण न तो अपमानजनक है और न ही रुढ़िवादी है।

### **ख. उच्च न्यायालय**

9. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया था कि फिल्म का समग्र संदेश अक्षमता पर काबू पाने के आसपास था और अक्षमता से पीड़ित पात्रों की ताकत पर ध्यान केंद्रित किया था। न्यायालय ने नोट किया कि प्राथमिक चुनौती कि फिल्म विकलांग व्यक्तियों की संवेदनाओं के लिए आक्रामक है, इस प्रकार स्थापित नहीं है। यह रेखांकित करते हुए कि फिल्म को सी.बी.एफ.सी. द्वारा अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाणन प्रदान किया गया था, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत गैर-पोषणीय थी।
10. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हैं:-
  - (i) प्रथम प्रत्यर्थी का जवाब नोटिस में लगाए गए आरोपों का खंडन करता है। उन्होंने इस सुझाव का विरोध किया कि फिल्म का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को कष्ट पहुँचाना या अपमानित करना था। इसके बजाय, उन्होंने फिल्म के निर्माता के इरादे के अनुसार फिल्म के व्यापक संदेश को स्पष्ट किया;
  - (ii) अपीलार्थी ने जवाब प्राप्त करने के बाद और याचिका दायर करने तक आगे की शिकायतें नहीं उठाई, जो फिल्म की कथित आपत्तिजनक प्रकृति को चुनौती देने की कमी का संकेत देती है;
  - (iii) मांगी गई राहतों के लिए कानूनी औचित्य की कमी है; और

(iv) इस बर्खास्तगी को 1952 के अधिनियम की धारा 5ख(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अस्तित्व से बल मिलता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों सहित इन दिशानिर्देशों ने फिल्म प्रमाणन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया।

### ग. विधायी ढांचा

11. हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय घोष और अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री जय अनंत देहादराई, सोनी पिक्चर्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पराग त्रिपाठी और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है, जो न्यायालय के अनुरोध पर न्यायालय की सहायता के लिए पेश हुए हैं। जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, उनमें आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के प्रावधानों का सिनेमटोग्राफ अधिनियम के तहत फिल्मों के प्रमाणन पर प्रभाव शामिल है।
12. अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि बोर्ड ने फिल्म को प्रमाण-पत्र देने में फिल्म प्रमाणन के लिए अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 और सार्वजनिक प्रदर्शनी 1991 के लिए फिल्मों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश, फिल्मों के प्रमाणन के लिए रूपरेखा का गठन करते हैं। ये प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन और ऐसी फिल्मों की प्रदर्शनी के विनियमन के लिए प्रावधान करते हैं। प्रत्येक फिल्म को अधिनियम की धारा 5क के तहत बोर्ड से प्रदर्शनी के लिए पूर्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 के तहत किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम बारह और

अधिकतम पच्चीस सदस्य होते हैं। प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन नियम में निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

13. एक बार आवेदन किए जाने के बाद, इसका मूल्यांकन एक परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है, जो संबंधित प्राधिकरण को सिफारिशें करती है, जो बोर्ड का अध्यक्ष या संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी हो सकता है। बोर्ड की ओर से कार्य करने वाला प्राधिकरण सिफारिशों पर कार्य कर सकता है या आवेदन को पुनरीक्षण समिति को भेज सकता है जिसमें बोर्ड के सदस्य या सलाहकार पैनल शामिल हैं।
14. धारा 5 में जनता पर फिल्मों के प्रभाव का आकलन करने के लिए योग्य व्यक्तियों से युक्त सलाहकार पैनल का प्रावधान है। बोर्ड के कुशल कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए सलाहकार समितियों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड किसी भी आवेदन के संबंध में एक फिल्म के प्रमाणन हेतु पैनल से परामर्श कर सकता है। पैनल को फिल्म की जांच करनी होती है और लागू नियमों के अनुसार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देनी होती हैं।
15. धारा 8 केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है। 1983 के प्रमाणन नियम (और 2024 के नियम जो उनका अधिक्रमण करते हैं) नियम बनाने की शक्ति के तहत बनाए गए थे। नियमों के तहत, क्षेत्रीय अधिकारी एक परीक्षा समिति की नियुक्ति करता है जिसमें सलाहकार पैनल के सदस्य (धारा 5 के तहत गठित) और एक परीक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। परीक्षा अधिकारी विषय-वस्तु के प्रकार और लंबाई के आधार पर नियमों में निर्धारित प्राधिकरण को परीक्षा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करता है और प्रत्येक दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है। बोर्ड के अध्यक्ष क्षेत्रीय अधिकारी से बोर्ड

की ओर से परीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकते हैं। अध्यक्ष, वैकल्पिक रूप से, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या आवेदक के अनुरोध पर, नियम 24 के तहत पुनरीक्षण समिति को रिकॉर्ड भेज सकता है। पुनरीक्षण समिति फिल्म की जांच करेगी और बोर्ड के अध्यक्ष को सिफारिशें भेजेगी। यदि अध्यक्ष पुनरीक्षण समिति के बहुमत के निर्णय से असहमत होता है, तो बोर्ड स्वयं फिल्म की जांच करेगा या किसी अन्य पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्म की फिर से जांच कराएगा और बोर्ड या दूसरी पुनरीक्षण समिति, जैसा भी मामला हो, का निर्णय अंतिम होगा। बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र राजपत्र में प्रकाशित होता है जो 10 वर्षों के लिए वैध होता है।

16. बोर्ड फिल्म की प्रकृति, विषय वस्तु और विषय वस्तु ('एस' प्रमाण-पत्र) को ध्यान में रखते हुए फिल्म को अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी ('यू' प्रमाण-पत्र); वयस्कों के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी ('ए' प्रमाण पत्र); (यू/ए प्रमाण-पत्र); या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए मंजूरी दे सकता है। बोर्ड फिल्म को जैसा है वैसा प्रमाणित कर सकता है, या निष्कासन या संशोधन के अधीन हो सकता है या फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पूरी तरह से मंजूरी देने से इनकार कर सकता है।
17. धारा 5ख में प्रावधान है कि एक फिल्म को प्रमाणित नहीं किया जाएगा यदि बोर्ड की राय में, यह "संप्रभुता और अखंडता के हितों" के खिलाफ है। 5ख(2) में कहा गया है कि केंद्र सरकार फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकरण का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों को चित्रित कर सकती है। तदनुसार, 1991 में दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

## I. 1991 के दिशानिर्देश

18. अपीलार्थी का कहना है कि फिल्म में विकलांग पात्रों के गंभीर चित्रण के लिए न्यायिक रूप से अनिवार्य जांच और विषय-वस्तु के निर्माताओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 5ख के तहत बनाए गए दिशानिर्देशों की व्याख्या व्यापक मानकों के रूप में की जाती है और (अन्य बातों के साथ) बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ शोषण किए जाने वाले दृश्यों को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाए। दिशानिर्देशों में महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों का संवेदनशील चित्रण निर्धारित किया गया है। फिल्म की समग्र रूप से और देश के समकालीन मानकों और उन लोगों के अनुरूप जांच की जानी चाहिए जिनसे यह संबंधित है।
19. इस न्यायालय ने फिल्मों में व्यक्तियों, स्थितियों और पात्रों के चित्रण की चुनौतियों को निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किए हैं। घृणा बचाव में कहा गया है कि यौन हिंसा या सांप्रदायिक तनाव के दृश्यों जैसी सामाजिक बुराई का चित्रण इन बुराइयों का महिमामंडन करने के बजाय उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उन्हें केवल चित्रण के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए और एकल दृश्यों के बजाय फिल्म के समग्र संदेश को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। फिल्मों को समाज के मानकों के प्रति संवेदनशील और सामाजिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बोर्ड को उपरोक्त मेट्रिक्स को लागू करने में फिल्म को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। निर्णय फिल्म के अलग-अलग अंशों और दृश्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए।

20. एक बार प्रमाणित होने के बाद, यह माना जाता है कि फिल्म ने लागू नियमों और दिशानिर्देशों और जनता पर इसके प्रभाव का पालन किया है जिसका न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जिस पर पहले ही एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा विचार किया जा चुका है।
21. विचाराधीन फिल्म का प्रमाणन हमारे सामने मुद्दा नहीं है। उस संबंध में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने नोट किया है, अपीलार्थी ने अपने कानूनी नोटिस पर सोनी पिक्चर्स के जवाब को चुनौती नहीं दी है। सुनवाई के दौरान पूरे बार में यह कहा गया कि चूंकि फिल्म इस बीच में रिलीज़ हो गई है इसलिए प्रमाणन अपने आप में गंभीर रूप से चुनौती में नहीं है। अपीलार्थी ने दृश्य मीडिया में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों जैसे संवेदनशील विषयों से निपटने के दौरान रचनाकारों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और सिफारिशों को शामिल करने की मांग की है।

## II. अनुच्छेद 19(1)(क) और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम

22. एक फिल्म निर्माता का फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, जो अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम अनुच्छेद 19(2) के 'शालीनता और नैतिकता' के तहत इस अधिकार पर उचित प्रतिबंधों का एक उदाहरण है। अधिनियम के तहत पूर्व प्रमाणन को सिनेमाई भाषण पर एक वैध प्रतिबंध माना गया है क्योंकि इसकी 'तत्काल अपील' और अन्य कलात्मक मीडिया की तुलना में भावनाओं को अधिक गहराई से भड़काने की योग्यता है। फिर भी, सिनेमाई भाषण पर प्रतिबंधों को

संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण मूल्य को खतरे में डालने की क्षमता है जो एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य है।

23. इस न्यायालय ने के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ में रेखांकित किया कि सिनेमाई अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध बेहद संकीर्ण होने चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी फिल्म के प्रभाव का निर्धारण करते समय, बोर्ड को अतिसंवेदनशील व्यक्ति की सहूलियत के बजाय इसे सामान्य व्यक्ति के सामान्य ज्ञान से देखना चाहिए। इसके अलावा, बोर्ड को सामाजिक परिवर्तन के प्रति जागरूक होना चाहिए और रूढ़िवादी या कट्टरपंथी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अभिव्यक्ति की सीमाएँ केवल समीचीन या सुविधाजनक होने के बजाय 'आवश्यक' होनी चाहिए, जो अपेक्षाकृत कम सीमाएँ हैं। बोर्ड को स्वतंत्रता के पक्ष में "पर्याप्त छूट" देनी चाहिए और रचनात्मक कार्यों को समाज में खामियों के साथ-साथ अच्छाइयों की व्याख्या करने की अनुमति देनी चाहिए।
24. चूँकि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम विशेषज्ञ निकायों द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है, इसलिए परीक्षा समिति जैसी वैधानिक समितियों की मंजूरी को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। बोर्ड को फिल्म निर्माताओं के दृष्टिकोण को सुनने का लाभ है, जो बोर्ड के समक्ष प्रासंगिक अभ्यावेदन करते हैं। न्यायालय अधिनियम के तहत गठित विशेष निकायों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमी हैं। हस्तक्षेप के इस संकीर्ण दायरे में, न्यायालय एक फिल्म समीक्षक की तरह कार्य नहीं कर सकता है और उसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, फिल्म में केवल किसी विषय का उल्लेख करना अपने आप में समस्याग्रस्त नहीं है और जिस शैली से विषय को संभाला गया है, उसकी गहरी जांच की

आवश्यकता है। बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह में इस न्यायालय ने कहा कि जब तक फिल्म का समग्र संदेश किसी सामाजिक बुराई का गुणगान करना नहीं है, तब तक इसका केवल एक सामाजिक बुराई का चित्रण अस्वीकार्य नहीं है। वहाँ यह माना गया कि यौन हिंसा के चित्रण को इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देने के रूप में नहीं माना जा सकता है। नचिकेता वल्हेकर बनाम केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में, हममें से एक (न्या. डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़) द्वारा बात करते हुए तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक लंबित मुकदमे में सबूत के रूप में इसके संदिग्ध उपयोग के आधार पर एक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार जब बोर्ड ने प्रदर्शनी को मंजूरी दे दी थी तब न्यायालय रचनात्मक कार्य पर प्रतिबंध लगाने में अत्यंत धीमी गति से काम करेगा।

25. फिल्मों पर प्रतिबंध सम्यक प्रक्रिया, सामाजिक हित, आत्यन्तिक आवश्यकता और स्पष्ट मामलों में सीमित अनुप्रयोग के सिद्धांतों और निरोध के उद्देश्य पर आधारित हैं। सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए किसी फिल्म की योग्यता तय करते समय जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फिल्म के सामाजिक प्रभाव को उचित बुद्धि वाले एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाता है न कि एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति के; (iii) रूढ़िवादी धारणाओं या सही और नैतिक क्या है, इसके बजाय सामाजिक परिवर्तन को ध्यान में रखा जाना चाहिए; और (iv) फिल्म को इसके समग्र संदेश से आंका जाना चाहिए न कि सामाजिक बुराइयों के पृथक चित्रण से।

**घ. भाषण का संदर्भ**

26. हम सिनेमाई भाषण के साथ काम कर रहे हैं। घृणा-विरोधी भाषण और समूह-मानहानि कानूनों के थोड़े अलग संदर्भ में, प्रोफेसर रोनाल्ड ड्वोर्किन ने तर्क दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नफरत भरे भाषण तक भी फैली हुई है। हालांकि उन्होंने कुछ समूहों को हिंसा और भेदभाव से बचाने की आवश्यकता को स्वीकार किया, उनका मानना था कि समाज इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून अपना सकता है। उन्होंने घृणापूर्ण भाषण को संरक्षित भाषण और आवश्यक माना, ताकि भेदभाव विरोधी कानून अपने विरोधियों के बीच राजनीतिक वैधता और प्रवर्तनीयता प्राप्त कर सकें। उनका तर्क था कि “यदि हम हिंसा या भेदभाव के खिलाफ वैध कानून चाहते हैं, तो हमें उनके विरोधियों को बोलने देना चाहिए।” दूसरी ओर, जॉन स्टुअर्ट मिल ने तर्क दिया कि इस तरह के भाषण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देकर और सच्चाई पर लगातार सवाल उठाने के लिए एक सार्वजनिक-शिक्षा समारोह का काम करते हैं। ड्वोर्किन के वैधता तर्क के साथ-साथ मिल के सार्वजनिक बहस तर्क से असहमत, जेरेमी वाल्ड्रॉन ने *द हार्म इन हेट स्पीच* में तर्क दिया कि कुछ मुद्दों पर, समाज उस बिंदु से आगे निकल गया है जहां उसे नस्ल जैसे मुद्दों के मौलिक पहलुओं पर बहस करने की आवश्यकता है। वाल्ड्रॉन ने तर्क दिया कि यदि सार्वजनिक बहस को बनाए रखने की योग्यता के कारण घृणापूर्ण भाषण की अनुमति दी जाती है, तो इस तरह की बहस नस्लीय अल्पसंख्यकों की गरिमा की कीमत पर होगी, जिन्हें इस तरह के भाषण के कारण अपनी वस्तुनिष्ठ सामाजिक स्थिति पर अपमानजनक हमले झेलने पड़े हैं। यह समाज द्वारा किसी की गरिमा और वस्तुनिष्ठ व्यवहार का अपमान है, न कि इस तरह के भाषण के माध्यम से 'किसी की भावनाओं पर प्रभाव' की अधिक व्यक्तिपरक धारणा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

27. भले ही वाल्ड्रॉन एक अलग संदर्भ में लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पर प्रतिबंधों की वैधता तय करने में भाषण के 'संदर्भ' के महत्व को सर्वोपरि बताया। अपमानजनक भाषण और रूढ़िवादी धारणाएं आमतौर पर हाशिए पर स्थित लोगों को लक्षित करती हैं। रूढ़िवादी भाषण के आसपास के मुद्दों को तय करने में मानव गरिमा पर भाषण के प्रभाव; वक्ता और लक्ष्य की पहचान; और भाषण के भाषाई अर्थों पर विचार किया जा सकता है। एक फिल्म के 'समग्र संदेश' का मानक, कुछ मायनों में, दृश्य मीडिया में संदर्भ और चित्रण के तरीके के महत्व पर इस जोर को आगे बढ़ाता है।

1. दुर्बल होती कल्पना: मीडिया में विकलांग व्यक्तियों का रूढ़िवादी चित्रण।

28. विकलांग व्यक्तियों का मीडिया चित्रण ऐतिहासिक रूप से दमनकारी रहा है। इस समझ के अनुरूप कि अयोग्यता योग्यता के मानक ढांचे में 'विसंगत' थी, विकलांग व्यक्तियों को अपमानजनक तरीकों से दर्शाया गया था। उन्हें बुराई के रूप में, दया, हिंसा, जिज्ञासा और उपहास की वस्तुओं के रूप में, समाज पर बोझ के रूप में, यौन असामान्य और कुल मिलाकर, सामुदायिक भागीदारी में असमर्थ लोगों के रूप में चित्रित किया गया था। इस तरह की दुर्बल कल्पना "वह आधार बनाती है जिस पर धारणाओं के प्रति दृष्टिकोण होता है। विकलांग व्यक्तियों के बारे में और उनकी अपेक्षाएँ आधारित हैं" इस तरह के चित्रण ने विकलांगता के बारे में एक भेद्यता या 'पीड़ा' के रूप में कलंकित करने वाले विचारों को कायम रखा। बार-बार नकारात्मक चित्रण जैसा कि ऊपर चित्रित किया गया है और संरक्षण और आपत्तिजनक भाषा का बार-बार उपयोग जैसे "पीड़ित", "अलग तरह से सक्षम" या "दुर्भाग्यपूर्ण" विकलांग व्यक्तियों के

प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों का वर्णन करना।

29. इस तरह के चित्रण के साथ समस्या यह है कि यह सामाजिक पहलुओं के बजाय हानि के चिकित्सा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो वास्तव में किसी व्यक्ति को अक्षम करते हैं। यह विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तियों के रूप में भी प्रभावित करता है, जिससे उन्हें कलंक और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
30. जैसा कि एलन सदरलैंड ने लिखा है, *“रूढ़िवादी विचार अक्सर आत्म-परिपूर्ण भविष्यवाणियों के रूप में कार्य करते हैं, जो एक विकलांग व्यक्ति को एक ऐसी भूमिका में मजबूर करते हैं जिसका उपयोग मूल उपचार को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।”* वे अपनी क्षमताओं के बारे में पहले से मौजूद नकारात्मक धारणाओं को आकार देते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत असमानताएँ बढ़ जाती हैं और शिक्षा या रोजगार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी गरिमापूर्ण भागीदारी बाधित होती है।
31. हास्य भाषण का एक शक्तिशाली माध्यम है जो समूहों के प्रति दृष्टिकोण और प्रभावित व्यवहार को मजबूत कर सकता है। अपमानजनक चुटकुले विकलांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत कर सकते हैं, विकलांग व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण और प्रथाओं को मान्य कर सकते हैं। हालाँकि, विकलांग व्यक्तियों के लिए हास्य की भी एक जटिल दोहरी भूमिका है। यह मजाक के संदर्भ और इसे कौन बता रहा है, इसके आधार पर “मुक्त करने वाला और कलंकित करने वाला दोनों” हो सकता है। हम बाद में इस दोहरी भूमिका का रुख करेंगे।

## II. गरिमा और गैर-भेदभाव के विरोध के रूप में रूढ़िवादिता।

32. यह न्यायालय भेदभाव और मूल अधिकार के उपभोग पर रूढ़िवादी धारणाओं के प्रभाव से अवगत है। हमने अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव विरोधी संहिता के रूढ़िवादिता के खिलाफ सुरक्षा उपायों का पता लगा लिया है जो गरिमा और समानता के अधिकार है।
33. उदाहरण के लिए, अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, में इस न्यायालय ने एक ऐसे कानून को रद्द कर दिया जो उन परिसरों में महिलाओं के रोजगार पर रोक लगाता है जहां शराब का सेवन किया जाता था। इस तरह के अप्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण कानून को “रूढ़िवादी नैतिकता और यौन भूमिका की अवधारणाओं के लाइलाज निर्धारण” द्वारा लागू किया गया था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, में इस न्यायालय ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भेदभावपूर्ण थी और द्विआधारी लैंगिक भेदभाव और लिंग की भूमिका के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित थी। इसने अनुच्छेद 15(1) के तहत प्रतिबंधित आधार पर लोगों के एक वर्ग को अलग किया। एक ऐसा प्रावधान जो रूढ़ियों पर आधारित था और कुछ व्यक्तियों को नागरिकों के रूप में समान भागीदारी और जीवन के समान आनंद के अधिकार से वंचित करता था। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य में, एक संविधान पीठ जिसमें हम शामिल थे (डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़) ने पाया कि लिंग के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं गरिमा को कम करती हैं। पितृत्ववादी धारणा कि महिलाएं एक कमजोर लिंग थीं, महिलाओं की गरिमा (अन्य बातों के साथ) के विपरीत पाई गई और इस तरह, अस्वीकार्य थी। संविधान में गरिमापूर्ण समाज के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को अनिवार्य माना गया है। इस न्यायालय द्वारा इन पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं और पूर्वाग्रहों को प्राप्त करने वालों के

अधिकारों को बनाए रखने में “रूढ़िवादिता के अमानवीय प्रभाव” को मान्यता दी गई है।

### III. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की रूपरेखा

34. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, जो विकलांगों के सामाजिक मॉडल से प्रेरित है, एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। यह मॉडल, जिसे अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद प्रमुखता मिली, “विकलांगता वाले व्यक्ति” के बजाय “विकलांग व्यक्ति” शब्द का उपयोग करता है, जो लोगों की अक्षमताओं के बजाय उनके व्यक्तित्व पर जोर देता है। सामाजिक मॉडल के अनुसार, अक्षमता एक व्यक्ति की दुर्बलताओं से नहीं उत्पन्न होती है लेकिन समाज और पर्यावरण द्वारा लगाई गई कृत्रिम बाधाओं से उत्पन्न होती है।
35. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम एक विकलांग व्यक्ति को दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी होने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो सामाजिक बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।
36. पहली बार, 2001 की जनगणना में विकलांगता वाले व्यक्तियों की गिनती की गई। यह समावेश विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारों के योग्य एक अलग समूह के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। पहले के प्रयास, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और भारतीय पुनर्वास परिषद की वर्ष 1986 में स्थापना ने इस प्रगति के लिए आधार तैयार किया। 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम ने प्रारंभिक जाँच, शिक्षा,

रोजगार, सकारात्मक कार्यवाही, गैर-भेदभाव और बाधा मुक्त पहुंच को संबोधित करके विकलांग अधिकार आंदोलन को आगे बढ़ाया।

37. वर्षों की वकालत की पराकाष्ठा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के अधिनियमन से हुई जिसमें भारतीय कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ संरेखित किया गया। यह अधिनियम गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता (व्यक्तिगत विकल्प बनाने की स्वतंत्रता), गैर-भेदभाव और प्रभावी भागीदारी के सिद्धांतों का प्रतीक है। सी.आर.पी.डी. का कहना है कि समाज में पूर्ण और समान भागीदारी के लिए बाधाओं का निर्माण करते हुए दुर्बलता और सामाजिक दृष्टिकोण के बीच बातचीत से विकलांगता उत्पन्न होती है।
38. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम एक चैरिटी लेंस द्वारा विकलांगता को देखने से मानवाधिकार के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का चित्रण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनकी अंतर्निहित गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखते हुए सशक्त बनाना है। यह अधिनियम व्यापक रूप से गैर-भेदभाव, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और सभी व्यक्तियों के समावेश के सिद्धांतों को रेखांकित करता है, जो मतभेदों के प्रति सम्मान और मानव विविधता के अभिन्न अंग के रूप में विकलांगों की स्वीकृति पर जोर देता है। यह अवसर की समानता, सुलभता, लैंगिक समानता और विकास की मान्यता को सुनिश्चित करता है। विकलांग बच्चों की क्षमता, उनकी पहचान बनाए रखने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करना।
39. आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम की धारा 3(1) यह अनिवार्य करती है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करे कि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के समान समानता, गरिमा के साथ जीवन और उनकी अखंडता के लिए

सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। यह अधिनियम रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को दूसरों को उपलब्ध किसी भी अधिकार या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यह विधायी ढांचा एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है जो विकलांगता की स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान और समर्थन करता है, जिससे समावेशिता और सामाजिक सदभाव को बढ़ावा मिलता है।

#### IV. अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र

40. अक्षमता के लिए मानवाधिकार दृष्टिकोण 20<sup>वीं</sup> शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ है, जिसमें अक्षमता को अधिकारों के एक व्यापक प्रतिमान में शामिल किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र की 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ शुरू हुआ था। इस घोषणा में स्वीकार किया गया कि सभी व्यक्तियों को उनके मतभेदों के बावजूद नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास के अधिकार हैं। इस दृष्टिकोण से, विकलांगता को मानव विशेषताओं में भिन्नता के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक योगदान की विविधता को समृद्ध करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अपनी क्षमता का एहसास कर सकें।
41. यह अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकलांग लोगों को वस्तुओं के बजाय विषयों के रूप में देखता है, उन्हें समस्याओं के रूप में देखने से हटकर उन्हें अधिकार धारकों के रूप में मान्यता देता है। 1970 के दशक के

मध्य से, यह परिप्रेक्ष्य संयुक्त राष्ट्र स्तर पर चार तरीकों से प्रकट हुआ है: गैर-बाध्यकारी घोषणाओं और प्रस्तावों द्वारा, सामान्य मानवाधिकार संधियों की व्याख्या में, विषयगत मानवाधिकार संधियों के मसौदे में, और विशेष एजेंसियों के कार्य में। सी.आर.पी.डी. का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करना और सुनिश्चित करना है, जो उनकी अंतर्निहित गरिमा के सम्मान पर जोर देता है। कन्वेंशन नए अधिकारों का निर्माण नहीं करता है, लेकिन मौजूदा अधिकारों को इस तरह से व्यक्त करता है जो पीडब्ल्यूडी की जरूरतों को पूरा करता है।

42. एक समिति समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। भारत (2007 में) सहित जो देश इसकी पुष्टि करते हैं, उन्हें अपनी प्रगति पर नियमित रूप से रिपोर्ट करनी चाहिए। सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा भी "किसी को पीछे नहीं छोड़ने" का संकल्प लेता है, इस बात पर जोर देते हुए कि विकलांग व्यक्तियों को लाभार्थी और परिवर्तन के एजेंट दोनों होना चाहिए।

#### *1. समानता और गैर-भेदभाव*

43. समानता और गैर-भेदभाव सभी मानवाधिकार संधियों के लिए मौलिक हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा विभिन्न आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है, जो सी. आर. पी. डी. के अनुच्छेद 5 का आधार है। विषयगत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों का उद्देश्य समानता स्थापित करना और भेदभाव को समाप्त करना है, जिसमें विशेष रूप से इन सिद्धांतों को संबोधित करने वाले

प्रावधान हैं। सी.आर.पी.डी. अन्य सम्मेलनों के अनुभवों पर आधारित है, जो समानता और गैर-भेदभाव के लिए संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण को विकसित करता है।

44. सी.आर.पी.डी. समिति नियमित रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कई प्रकार के भेदभाव का निरीक्षण करती है, जिसमें निर्मित वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार तक पहुँच में उल्लंघन शामिल हैं; मीडिया में नकारात्मक चित्रण और हानिकारक रूढ़िवादिता; कानूनी क्षमता के अधिकार से वंचित; न्यायाधीश, शिक्षा और रोजगार तक पहुँच में बाधाएं; और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, अवकाश और खेल में भाग लेने पर प्रतिबंध शामिल हैं। कई देशों द्वारा सी.आर.पी.डी. को अपनाने और अनुसमर्थन के बावजूद, दान और चिकित्सा प्रतिमानों पर निरंतर निर्भरता के कारण विकलांगता-आधारित भेदभाव बना हुआ है। पूर्वगामी विचारों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि विकलांगता को संबोधित करने के लिए पुराने दृष्टिकोण मौजूद हैं, जो विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार धारकों के रूप में स्वीकार करने में विफल रहते हैं। ये दृष्टिकोण, जो विकलांग व्यक्तियों की “देखभाल और सुरक्षा” करने या उन्हें “ठीक” या “ठीक” करने की इच्छा की विशेषता है, मौलिक रूप से सी.आर.पी.डी. में निहित समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के साथ असंगत हैं।
45. सी.आर.पी.डी. के अनुच्छेद 5 पर सामान्य टिप्पणी में कहा गया है कि राज्य दलों को मीडिया में विकलांग व्यक्तियों के भेदभावपूर्ण चित्रण को संबोधित करने के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। दान, कल्याण और चिकित्सा प्रतिमानों में निहित इस तरह के चित्रण, हानिकारक रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं और विकलांग व्यक्तियों की गरिमा और स्वायत्तता को कमजोर करते हैं। इसलिए राज्यों को विकलांग व्यक्तियों

को सी.आर.पी.डी. के अनुरूप तरीके से चित्रित करने के लिए मीडिया को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों को लागू करना चाहिए, जिससे उन नकारात्मक विचारों का मुकाबला किया जा सके जो उन्हें आश्रित या स्वायत्तता की कमी के रूप में दर्शाते हैं।

46. अक्षमता के प्रति मानवाधिकार दृष्टिकोण को कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उजागर किया गया है। **ग्लोर बनाम स्विट्जरलैंड** में, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने सी.आर.पी.डी. का संदर्भ देते हुए विकलांग व्यक्तियों को भेदभाव से बचाने के लिए यूरोपीय और विश्वव्यापी सहमति घोषित की। इस मामले में, मधुमेह के कारण सैन्य सेवा के लिए अयोग्य माने जाने वाले आवेदक पर अभी भी सैन्य सेवा नहीं करने के लिए कर लगाया गया था। न्यायालय ने माना कि स्विट्जरलैंड ने उनके साथ अवैध रूप से भेदभाव किया था। **बैचर बनाम ऑस्ट्रिया** में, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित आवेदक को उपलब्धता के मुद्दों का सामना करना पड़ा जब उसके घर तक पहुंचने के लिए एक अहम लकड़ी की छत को नष्ट कर दिया गया था। सी.आर.पी.डी. समिति ने कहा कि राज्यों को विकलांग व्यक्तियों के लिए समान उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए जो सार्वजनिक वस्तुओं, उत्पादों और सेवाओं को इस तरह से सम्मानित करना जो गरिमा का सम्मान करे।
47. विकलांगता पर मानवाधिकार का दृष्टिकोण, जो सी.आर.पी.डी. में परिलक्षित है अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में अहम विकास का द्योतक है। यह विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों के रूप में मानने की आवश्यकता पर जोर देता है जो धारकों को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करता है।

## *2. जागरूकता बढ़ाना*

48. सी.आर.पी.डी. का अनुच्छेद 8 विकलांग अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपायों को अनिवार्य करता है, जिसमें शामिल हैं:
- i. विकलांगता के अधिकारों और गरिमा के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए परिवारों से लेकर समाज के सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाना।
  - ii. लिंग या आयु की परवाह किए बिना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ रूढ़िवादी और पूर्वाग्रहों से लड़ना; और
  - iii. विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं और मूल्यवान योगदान की मान्यता को बढ़ावा देना।
49. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को लक्षित करने वाले जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान विकलांग व्यक्तियों से संबंधित रूढ़िवादी, पूर्वाग्रह और हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं। इन अभियानों को इस गलत धारणा को दूर करना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति, जैसे ऑटिस्टिक व्यक्तियों, बधिर व्यक्तियों, नेत्रहीन व्यक्तियों और मनोसामाजिक विकलांग व्यक्तियों के रूप में, सहकर्मियों के साथ बातचीत करने या कम विचलित होने के कारण अधिक उत्पादक होने की संभावना कम होती है। सक्षमता जैसी मूल्य प्रणालियों की पहचान करना और उन्हें समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो असमानता और भेदभाव की ओर ले जाने वाले कानून, नीतियों और प्रथाओं को रेखांकित करते हैं।
50. अनुच्छेद 4.3 जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सी.आर.पी.डी. समिति अनुशंसा करती है कि राज्य पक्ष विकलांग व्यक्तियों के संगठनों और विकलांग व्यक्तियों के संगठनों की भागीदारी के साथ व्यवस्थित

जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को लागू करें। यह अनुच्छेद 4.3 और 33.3 पर सामान्य टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है जो कन्वेंशन के कार्यान्वयन और निगरानी में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में बात करता है। टिप्पणी में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों में ऐसे मीडिया अभियान शामिल होने चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से ऐल्बिनिज़म, मनोसामाजिक और/या बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों और बधिर-नेत्रहीन व्यक्तियों की सकारात्मक छवियों को मानवाधिकार धारकों के रूप में चित्रित करते हैं।

51. समाज में उनके योगदान की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देते हुए, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र जीवन को रोकने वाली रूढ़िवादी, सक्षमता और गलत धारणाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सी.आर.पी.डी. के सिद्धांतों और विकलांगता के मानवाधिकार मॉडल के साथ संरेखित करना चाहिए ताकि लिंग और विकलांगता की रूढ़ियों को दूर किया जा सके। जागरूकता बढ़ाने में अधिकारियों, सिविल सेवकों, पेशेवरों, मीडिया, आम जनता और विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को शामिल किया जाना चाहिए और होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधि संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग से किया जाए।
52. सी.आर.पी.डी. सदस्य राज्यों को अपने संगठनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के साथ जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों के विकास और कार्यान्वयन में “निकटता से परामर्श” और “सक्रिय रूप से शामिल” करने की आवश्यकता है। यह विकलांग व्यक्तियों की धारणा को “दान की वस्तुओं” से “अधिकार धारकों” में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि जागरूकता पैदा करना अपने आप में एक अधिकार नहीं है, कन्वेंशन राज्यों के दिलों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में

जागरूकता बढ़ाने के लिए बाध्य करता है। किसी अधिकार की स्थापना उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने से अलग है, यही कारण है कि राज्य दलों को विकलांग व्यक्तियों को अपने अधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करना चाहिए। दृष्टिकोण को आकार देने और जागरूकता पैदा करने की मीडिया की शक्ति इस सक्षम वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है।

53. सी.आर.पी.डी. मानव विविधता के भाग के रूप में विकलांग व्यक्तियों के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान पर जोर देता है। इसका उद्देश्य विकलांगता के बजाय भेदभाव को रोकना है, एक चिकित्सा दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस परिप्रेक्ष्य को सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक सेवा अभियानों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे विविधता का सम्मान करें और भेदभाव का मुकाबला करें।
54. विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्रवाई का विश्व कार्यक्रम 1982 में अपनाया गया, मानवाधिकार के दृष्टिकोण से विकलांगता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रदान करता है। यह विकलांग संगठनों के परामर्श से मीडिया दिशानिर्देशों को विकसित करने, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्व-वकालत में प्रशिक्षण और विकलांग चित्रण में सुधार के लिए मीडिया क्षेत्र के भीतर सूचित शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। दिशानिर्देशों को केवल समाचार माध्यमों में ही नहीं, बल्कि विभिन्न मीडिया रूपों में विकलांग व्यक्तियों के संवेदनशील और सटीक चित्रण को बढ़ावा देना चाहिए।
55. डब्ल्यू.पी.ए. के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र ने मीडिया में विकलांग लोगों के समावेश और चित्रण के लिए दिशानिर्देश विकसित किए, जो “इम्प्रूविंग

कॉन्सुल्टेशनस अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीस” शीर्षक वाली पुस्तिका में समाप्त हुए। इन दिशानिर्देशों को विभिन्न मीडिया और देशों में अपनाये करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के बारे में सार्वजनिक धारणा में सुधार करना है। इनमें मुख्यधारा की प्रोग्रामिंग में समावेश, निरूपण और चित्रण के मुद्दे, भाषा का उपयोग और मीडिया उत्पादन में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी जैसे विषय शामिल हैं।

56. जबकि डब्ल्यू.पी.ए. के दिशानिर्देश मीडिया चित्रण में सुधार के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करते हैं, वे कुछ मामलों में पुराने हैं, विशेष रूप से विकलांगता की उनकी चिकित्सा-आधारित समझ। उदाहरण के लिए, उनमें दुर्बलताओं को रोकने और उनका इलाज करने की सिफारिशें शामिल हैं, जो मानव विविधता के हिस्से के रूप में विकलांगता का सम्मान करने के सी.आर.पी.डी. के सिद्धांत के विपरीत हो सकती हैं। हालाँकि, विकलांग व्यक्तियों के सटीक और सकारात्मक मीडिया चित्रण को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों के प्रचार, उपलब्धता और निगरानी तंत्र मूल्यवान हैं।

#### V. भारतीय न्यायशास्त्र मानवाधिकार दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।

57. विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनों की नींव का पता मूल मानव अधिकार के रूप में गरिमा की गारंटी से लगाया गया है, जिसे संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई है। 1995 के पूर्ववर्ती अधिनियम के विपरीत, 2016 के अधिनियम की योजना संसाधनों की उपलब्धता से बाधित नहीं है लेकिन अपने विभिन्न प्रावधानों में निहित इन अधिकारों को साकार करने के लिए राज्य के सकारात्मक दायित्वों को मान्यता देती है।

58. इस न्यायालय ने विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग में निर्णय दिया है कि संविधान में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विकलांग व्यक्ति उसमें उल्लिखित अधिकारों के समान रूप से हकदार हैं। हमने माना कि आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के प्रावधान एक सुरक्षात्मक दायरे का निर्माण करते हैं जिसमें समानता, गैर-भेदभाव और गरिमा शामिल हैं। अधिनियम की धारा 3 समानता और गरिमा के अधिकार सहित अधिकारों के प्रयोग को सक्षम बनाने के लिए सरकार पर एक सकारात्मक दायित्व डालती है, जो विकलांग व्यक्तियों में दूसरों के समान कठोरता के साथ निहित है। इस न्यायालय ने समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और निजी दोनों पक्षों के सकारात्मक दायित्व को रेखांकित किया। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, हमने नोट किया, एक भेदभाव विरोधी कानून से अधिक था। इसने मूल समानता और समाज में भाग लेने के अवसर सहित उपर्युक्त अधिकारों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण पर जोर दिया। इस निर्णय ने समाज में पूर्ण भागीदारी का समर्थन करने के लिए राज्य और निजी संस्थाओं के दायित्व को मजबूत किया, जो विकलांगता के सी.आर.पी.डी. के मानवाधिकार मॉडल के साथ संरेखित है।
59. इस दृष्टिकोण को रवींद्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ में प्रदर्शित किया गया था जहां इस न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक कमांडेंट के साथ होने वाले भेदभाव को संबोधित किया था, जो सेवा के दौरान मानसिक रूप से विकलांग हो गए थे। न्यायालय ने आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम की धारा 3 के तहत 'गरिमा' और 'समानता' पर जोर दिया जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के सकारात्मक कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया।

60. हाल के निर्णय न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की विकसित भूमिका को दर्शाते हैं बल्कि विकलांगता, लिंग और मानसिक स्वास्थ्य की जटिल राहों को संबोधित करने में भी समानता पर चर्चा को समृद्ध करते हैं। यह दृष्टिकोण एक-आकार-सभी को समाये दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, यह स्वीकार करते हुए कि विकलांगता एक सूक्ष्म, व्यक्तिगत अवधारणा है जिसे मानसिक हानि और व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे कारकों द्वारा आकार दिया जाता है। कानूनी ढांचा विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कलंक और भेदभाव को रोकने की आवश्यकता पर जोर देता है, उनकी पहचान और गरिमा की भावना पर गहरे प्रभाव को पहचानता है।
61. 2016 अधिनियम, 1991 के दिशानिर्देशों के काफी बाद आया था। दिशानिर्देशों में विकलांग व्यक्तियों के बारे में 'अनावश्यक' अपमानजनक और उपहासपूर्ण दृश्यों से बचाने का बोर्ड का कर्तव्य शामिल है। दृश्य मीडिया की तत्काल अपील को देखते हुए, यह दिशानिर्देश उनके ऐतिहासिक रूप से दमनकारी सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में समावेशी और ठोस समानता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। प्रमाण-पत्र में यह अनुमान लगाया जाता है कि फिल्म दिशानिर्देशों का पालन करती है। इस उदाहरण में, फिल्म को 'यू'-प्रमाण पत्र दिया गया था और इसका तात्पर्य है कि यह अनावश्यक रूप से विकलांग व्यक्तियों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों और कानूनों के विपरीत तरीके से चित्रित नहीं करता है।

**ड. भाषण को हाशिए पर स्थित लोगों को पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहिए और उन्हें आगे मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए।**

62. अनुच्छेद 19(1)(क) को “हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत सभी स्वतंत्रताओं में शायद सबसे मूल्यवान” कहा गया है। अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक देन-लेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोक नीति पर एक सुधारात्मक नियंत्रण के रूप में काम करती है। कुल मिलाकर, वे लोकतंत्र के विवेकपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक बहस को विविध आवाजों और सामाजिक स्पेक्ट्रम से व्यापक भागीदारी से समृद्ध किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, लिंग, पहचान, यौन अभिविन्यास और विकलांगता के बारे में मानक रूढ़िवादिता ने अब तक कुछ समूहों को इस तरह की भागीदारी से वंचित कर दिया है। इंडिबली क्रिएटिव (पूर्वोक्त) में, हमने माना कि व्यंग्यपूर्ण भाषण ने सामाजिक बेतुकेपन, पाखंड और विरोधाभासों को प्रभावी ढंग से उजागर किया लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति भी अनुच्छेद 19(2) के अधीन थी। इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि यदि ऐसी अभिव्यक्ति, जो अन्यथा स्वीकार्य है क्योंकि यह विमर्श को बढ़ावा देती है, समाज के हाशिए पर स्थित लोगों को लक्षित करती है, तो यह “विचाराधीन समूह के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रहों की पुष्टि और उन्हें मजबूत कर सकती है, जो उन्हें केवल हाशिए पर ले जाता है और उन्हें अधिक मताधिकार से वंचित कर देता है/ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 19(1)(क) का पूर्ण संरक्षण नहीं मिल सकता है।

**च. केवियट: विकलांगता पर हास्य बनाम दुर्बल बनाता हास्य।**

63. विकलांग व्यक्तियों के ऐतिहासिक रूप से दमनकारी चित्रण के संदर्भ में ऐसी बोली जो रूढ़िवादिता को बढ़ाती है, ऐसे व्यक्तियों की गरिमा के खिलाफ है। हालाँकि, आमतौर पर विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ नियोजित रूढ़िवादी उपयोग किए जाने वाले सभी भाषण केवल इस तरह के उपयोग के कारण घृणित नहीं हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती धाराओं में कहा

गया है, इस तरह के उपयोग को प्रतिकूल करार देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण को हटाने से पहले संदर्भ, इरादे और समग्र संदेश पर विचार किया जाना चाहिए।

64. हास्य और अक्षमताओं को असहज साथी के रूप में देखा जाता है। यह मुख्य रूप से विकलांगता का मजाक बनाने, विकलांग व्यक्तियों की कीमत पर चुटकुले बनाने और हास्य राहत के लिए उनका उपयोग करने के लिए हास्य के ऐतिहासिक उपयोग के कारण है। इसके अलावा, चिकित्सा मॉडल विकलांगता को एक व्यक्तिगत 'त्रासदी' के रूप में मानता है जो परिभाषा के अनुसार, हास्य के साथ असंगत है। यह समझ अब सामाजिक मॉडल के तहत अप्रचलित हो गई है जो विकलांगता को सामाजिक बाधाओं के एक कार्य के रूप में देखता है जो ऐसे व्यक्तियों को अक्षम करते हैं। सामाजिक मॉडल का कहना है कि रूढ़िवादी अक्षमता के साथ परिचितता की कमी से उत्पन्न होते हैं। यह कमी प्रमुख प्रवचन में विकलांग व्यक्तियों के अपर्याप्त चित्रण और भागीदारी के कारण उत्पन्न होती है।
65. चिकित्सा मॉडल के इतिहास और अप्रचलन के बावजूद, विकलांगता के संदर्भ में हास्य की सार्वभौमिक रूप से निंदा नहीं की जाती है। यह अब विकलांग व्यक्तियों द्वारा समाज के साथ जुड़ाव के लिए एक परिष्कृत साहित्यिक माध्यम के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। यह समाज को विकलांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों से परिचित कराता है, जिससे पूर्वाग्रहपूर्ण मिथकों को दूर किया जाता है और लोगों को संवेदनशील बनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी 'अन्यता' या 'हीनता' की चुनौतीपूर्ण धारणाओं में हास्य एक समान स्थान बनाता है। विकलांगता पर हास्य सामाजिक व्यवस्था की आलोचना और रूढ़िवादी छवियों का मुकाबला करने के लिए आत्म-अपमानजनक हास्य का

उपयोग करते हैं। वे रूढ़िवादी धारणाएँ सबसे आगे लाते हैं और उन्हें दूर कनरे के लिए उन पर भरोसा करते हैं। हास्य विकलांग व्यक्तियों द्वारा लोक संवाद का एक पुनरुद्धार है जो विकलांगता के आसपास के प्रमुख, सक्षम आख्यानो के खिलाफ पीछे हट रहे हैं।

66. इसलिए, हमें विकलांग व्यक्तियों को नीचा दिखाने और अपमानित करने वाले 'अक्षम करने वाले हास्य' को 'विकलांग हास्य' से अलग करना चाहिए जो विकलांगता के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है। जबकि अक्षमता हास्य अक्षमता को बेहतर ढंग से समझने और समझाने का प्रयास करता है, हास्य को अक्षम करना इसे बदनाम करता है। गरिमा पर उनके प्रभाव और विकलांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं में दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती है।

#### **छ. वर्तमान मामला**

67. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को इस आधार पर लागू किया था कि दूसरे प्रत्यर्थी के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रयोग, फिल्म द्वारा रूढ़ियों को मजबूत करके अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत अपीलार्थी के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
68. ये दोनों अधिकार क्रमशः अनुच्छेद 19(1)(क) और अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार हैं। उच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुच्छेद 8 में उल्लेख किया कि चूंकि अपीलार्थी ने दूसरे प्रत्यर्थी के इस दावे को चुनौती नहीं दी थी कि फिल्म का समग्र संदेश विकलांग व्यक्तियों के प्रति-स्कंदन के बारे में था, इसलिए प्राथमिक चुनौती यह थी कि फिल्म संवेदनाओं को आहत करती है। जैसा कि पिछली धाराओं में कहा गया है, फिल्म निर्माता के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोधी

अधिकार को अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए अधिकारों के खिलाफ नहीं तौला गया था। उच्च न्यायालय यह पता लगा सकता था कि दो अधिकार-एक ओर फिल्म निर्माता की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचाराधीन अधिकारों (गरिमा, गैर-भेदभाव और समानता) में ऐसी प्रदर्शनी के लिए विधिवत प्रमाणित फिल्म प्रदर्शित करने के लिए फिल्म निर्माताओं के अधिकारों पर अंकुश लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। वैकल्पिक रूप से, उच्च न्यायालय एकल या दोहरे आनुपातिकता परीक्षण के अनुसार दो अधिकारों का संतुलन कर सकता था- यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे लगता है कि एक अधिकार दूसरे पर प्राथमिकता रखता है।

69. उच्च न्यायालय उचित रूप से इस चर्चा में शामिल नहीं है, शायद इसलिए कि अपीलार्थी ने बोर्ड और सलाहकार पैनल में विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करने के निर्देश के साथ संतोष व्यक्त किया और इसलिए कि फिल्म का प्रमाणन समस्या नहीं था। इसलिए, अपनी जांच को इस हद तक सीमित करते हुए कि क्या ऐसी राहत दी जा सकती है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय सुनाया।
70. **इंडिबली** (पूर्वोक्त) के अवलोकन के अनुरूप, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत स्वतंत्रता, जो कि फिल्म निर्माता की रचनात्मक स्वतंत्रता है, में पहले से ही हाशिए पर स्थित लोगों का मजाक उड़ाने, रूढ़िबद्ध करने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने या अपमानित करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो सकती है। एक ऐसी फिल्म के बीच अंतर है जो सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और जो इस तरह की हिंसा की प्रशंसा करने वाले चित्रण से हिंसा के चित्रण को नहीं रोक सकती है। इसी तरह, यदि कार्य का समग्र संदेश

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह किसी भी संतुलन की आवश्यकता को दूर करते हुए, संवाद संरक्षित नहीं है। हालांकि, उपयुक्त मामलों में, यदि रूढ़िवादी/अपमानजनक चित्रण को फिल्म के समग्र संदेश द्वारा उचित ठहराया जाता है, तो फिल्म निर्माता के इस तरह के चित्रण को बनाए रखने के अधिकार को चित्रित किए गए लोगों के मौलिक और वैधानिक अधिकारों के खिलाफ संतुलित करना होगा।

71. अपीलार्थी आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के प्रावधानों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत बोर्ड और सलाहकार समिति की संरचना और वर्तमान फिल्म के कुछ हिस्सों में भी बीप से बाधित करने की सिफारिशों के संबंध में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दिशा-निर्देश चाहता है।
72. विशिष्ट सिफारिशों के संबंध में, हमारे विचारों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:
  - 72.1. हम सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत विशेष रूप से एक फिल्म की प्रदर्शनी की अनुमति देने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के निर्धारण कर एक धीमे से हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। यह बोर्ड का काम है कि वह दृश्य मीडिया द्वारा सामाजिक बुराईयों के अनुमेय और अस्वीकार्य चित्रण के बीच की रेखा बनाए और यह सुनिश्चित करें कि दिशानिर्देशों को व्यापक मानकों के रूप में पढ़ा जाए। वर्तमान मामले में प्रमाणन का तात्पर्य है कि बोर्ड ने पाया कि फिल्म का समग्र संदेश दिशानिर्देशों और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के अनुसार था। हम विशेष रूप से फिल्म में एक अस्वीकरण को शामिल करने पर विचार करते हुए

फिल्म के कुछ हिस्सों को बीप से बाधित करने की सिफारिश करके इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

72.2. सोनी पिक्चर्स द्वारा आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम की धारा 7 (घ) के अनुसार एक जागरूकता फिल्म बनाने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धारा 7(घ) उपयुक्त सरकार की ओर निर्देशित है। जबकि हमने उस सिद्धांत को रेखांकित किया है कि उचित समायोजन में विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करने और उनकी पूर्ण भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी पक्षों के सकारात्मक दायित्व शामिल हैं, हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि धारा 7(घ) में निजी व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा दायित्व शामिल है। अन्यथा भी, इस तरह का निर्देश जबरन बोलने के बराबर होगा। हालांकि, इस न्यायालय ने वर्तमान से बहुत अलग संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इस तरह के जबरन भाषण की अनुमति दी है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान, प्रदर्शकों के लिए एक लाइसेंस पूर्व शर्त के रूप में लघु शैक्षिक फिल्मों की प्रदर्शनी को अनिवार्य करता है। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन में इस प्रावधान को बरकरार रखा था। प्रावधान अन्य फिल्मों के साथ-साथ पूर्व-निर्मित शैक्षिक लघु फिल्म की प्रदर्शनी से संबंधित है और यह प्रदर्शकों पर लागू होता है। वर्तमान मामले में मांगी गई सिफारिश जागरूकता फैलाने के वैधानिक जनादेश के आधार पर एक पूरी तरह से अलग फिल्म के निर्माण के लिए है जो सोनी पिक्चर्स जैसी निजी संस्था की ओर भी निर्देशित नहीं है। विकास कुमार (पूर्वोक्त) में उल्लिखित सकारात्मक दायित्व को

अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए तरीके से बोलने के लिए मजबूर करने के लिए इतना विस्तारित नहीं किया जा सकता है।

72.3. बोर्ड और सलाहकार समितियों में विषय वस्तु विशेषज्ञों को शामिल करने पर, हमारा मानना है कि यह क्षेत्र सिनेमेटोग्राफ अधिनियम द्वारा पर्याप्त रूप से अधिकृत है और 1983 और 2024 के प्रमाणन नियम हमारे हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं। 1983 के नियमों के तहत, बोर्ड फिल्मों पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का आकलन करने के लिए कदम उठा सकता है। जाँच समिति में महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। 1983 के नियमों और 2024 के नियमों में एक विषय विशेषज्ञ के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है: जाँच समिति की अंतिम रिपोर्ट अध्यक्ष को 10 दिन में भेजी जाएगी, जब तक कि समिति को लगता है कि विशेषज्ञ की राय आवश्यक है। उस मामले में, यह एक अस्थायी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विशेषज्ञ की राय ले सकता है। 2024 प्रमाणन नियम एक कदम आगे बढ़ते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि एक क्षेत्रीय अधिकारी परीक्षा समिति या पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्म की जांच के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

72.4. न्यायालयों ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम से परे कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इन विशेषज्ञ समितियों की योग्यता पर भी पर्याप्त जोर दिया है, यहां तक कि उनकी मौजूदा संरचना के साथ भी। राज कपूर बनाम राज्य में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोट किया कि प्रमाण-पत्र, जो सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए एक फिल्म की योग्यता का

न्याय करने के लिए चुनी गई है एक विशेषज्ञ निकाय के निर्णय का चित्रण करता है, मैं भारतीय दंड संहिता जैसे अन्य कानूनों के अवयवों पर भी विचार करना शामिल है। न्यायालय ने कहा कि फिल्म आरक्षण के एक संवेदनशील विषय पर आधारित है, लेकिन इसे कानूनी और विषय विशेषज्ञों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों से संबंधित सदस्यों वाली समितियों द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिन्होंने फिल्म के प्रदर्शन को मंजूरी दी थी।

72.5. बोर्ड को यह तय करना चाहिए कि क्या एक अपमानजनक चित्रण समग्र संदेश से मुक्त था या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें हितों का एक जटिल संतुलन शामिल है जैसा कि हमने शुरुआत में उल्लेख किया था। यह आदर्श होगा यदि वैधानिक निकायों में विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल हों। हमारा मानना है कि 2024 के नियम इस सिद्धांत की स्वागत योग्य स्वीकृति हैं और विकलांगता पर विषय विशेषज्ञों के साथ परामर्श निश्चित रूप से बेहतर होगा। बोर्ड के दृष्टिकोण को सूचित करें। अधिनियम और नियमों में अंतर्निहित नीति पहले से ही विशेषज्ञ परामर्श के लिए जिम्मेदार है। यह न्यायालय केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि यह बेहतर हो सकता है या एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है, जब ऐसी नीति की वैधता पर सवाल नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त आवश्यकताओं को असंदिग्ध प्रावधानों में नहीं पढ़ सकता है। इन निकायों के घटकों के पास योग्यता या विशेषज्ञता को निर्दिष्ट करना या यह निर्देश देना कि ऐसी आवश्यकता को अधिनियम में विधायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए, संवैधानिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे है।

72.6. अपीलार्थी ने संविधान और आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की है। हमने ऊपर कहा है कि अधिनियम के तहत दिशानिर्देश काफी व्यापक हैं और क्षेत्र को कवर करते हैं। इस तरह के निर्देश विधायी खामियों को भरने के लिए जारी किए जाते हैं। यदि अनुमति दी जाती है, तो ऐसे दिशानिर्देश एक अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने के समान होंगे, यानी आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 को दूसरे अधिनियम में, जो कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम है, भले ही बाद वाला इस मुद्दे पर शून्य से पीड़ित न हो, और वैधानिक विशेषज्ञ निकाय को वैसे भी पूर्व के प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। न्यायालय नीति-निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। इसलिए, उच्च न्यायालय को उपर्युक्त राहत नहीं देना उचित था और हम इस आशय की सिफारिशें नहीं कर सकते।

73. चूंकि इस मुद्दे में विकलांग व्यक्तियों के मूल अधिकार शामिल हैं, इसलिए हम इस अवसर पर दृश्य मीडिया में विकलांग व्यक्तियों के चित्रण की एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जो संविधान के साथ-साथ आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के भेदभाव विरोधी और गरिमा की पुष्टि करने वाले उद्देश्यों के साथ मेल खाती है। हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19(2) उन सीमाओं को पूरा करता है जो अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता पर लागू की जा सकती हैं। हम जिस रूपरेखा को निर्धारित करना चाहते हैं, वह विकास में हमारे निष्कर्षों के अनुरूप है। विकास कुमार (पूर्वोक्त) जहाँ हमने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के भाग III के तहत मूल अधिकार विकलांग व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।

74. हमारे विमर्श की भाषा अलग-थलग करने के बजाय समावेशी होनी चाहिए। हमने विकास कुमार (पूर्वोक्त) में उल्लेख किया है कि असंवेदनशील भाषा विकलांग व्यक्तियों की गरिमा के विपरीत थी। जब तक फिल्म का समग्र संदेश विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही अपमानजनक भाषा के चित्रण को सही ठहराता है, तब तक इसे अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों से परे नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, ऐसी भाषा जो विकलांग व्यक्तियों को अपमानित करती है, उन्हें और हाशिए पर पहुँचाती है और उनकी सामाजिक भागीदारी में अक्षम करने वाली बाधाओं को पूरा करती है, इस तरह के चित्रण के समग्र संदेश की गुणवत्ता को कम किए बिना सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। इस तरह का चित्रण समस्याग्रस्त इसलिए नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिपरक भावनाओं को आहत करता है बल्कि इसलिए है क्योंकि यह समाज द्वारा प्रभावित समूहों के उद्देश्यपूर्ण सामाजिक व्यवहार को बाधित करता है। हम मानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के चित्रण को उनके चित्रण के वस्तुनिष्ठ सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और विकलांग व्यक्तियों को हाशिए पर नहीं पहुँचाना चाहिए:

- (i) शब्द संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। विकलांग व्यक्तियों के बारे में सामाजिक धारणाओं में “अपंग” और “मंदबुद्धि” जैसे शब्दों का अवमूल्यन हुआ है। वे नकारात्मक आत्म-छवि में योगदान करते हैं और समाज में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और प्रथाओं को बनाए रखते हैं।
- (ii) ऐसी भाषा जो दुर्बलता को व्यक्त करती है और अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं (जैसे “दुखी”, “पीड़ा” और “विपत्ति ग्रस्त”) को

नजरअंदाज करती है, उसे सामाजिक मॉडल के विपरीत टाल दिया जाना चाहिए या पर्याप्त रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

- (iii) रचनाकारों को यथासंभव चिकित्सा स्थिति के सटीक चित्रण की जांच करनी चाहिए। रतौंधी जैसी स्थिति का भ्रामक चित्रण इस स्थिति के बारे में गलत सूचना को कायम रख सकता है और इस तरह के विकलांग व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं को जोड़ सकता है जिससे विकलांगता उत्तेजक हो जाती है;
- (iv) विकलांग व्यक्तियों का चित्रण कम है। औसत लोग विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं से अनजान हैं। दृश्य मीडिया को अपने जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उनके चित्रण को उनकी जीवित वास्तविकताओं के बहुआयामों को चित्रित करने और एक आयामी, सक्षम चरित्र चित्रण नहीं होना चाहिए;
- (v) दृश्य मीडिया को विकलांग व्यक्तियों की विविध वास्तविकताओं को चित्रित करने का प्रयास करना चाहिए, न केवल उनकी चुनौतियों को बल्कि उनकी सफलताओं, प्रतिभाओं और समाज में उनके योगदान को भी प्रदर्शित करना चाहिए। यह संतुलित चित्रण रूढ़िवादिता को दूर करने और विकलांगता की अधिक समावेशी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इस तरह के चित्रण व्यक्तियों के बहुआयामी जीवन को प्रतिबिंबित करते हैं। विकलांगों के साथ, सक्रिय समुदाय के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाओं पर जोर देते हुए जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक योगदान देते हैं। उनकी उपलब्धियों और रोजमर्रा के अनुभव को उजागर

करके मीडिया, वर्णन को सीमा से क्षमता और एजेंसी में बदल सकता है;

(vi) उनका न तो मिथकों (जैसे, 'अंधे लोग अपने रास्ते में चीजों से टकराते हैं') के आधार पर उपहास उड़ाया जाना चाहिए और न ही दूसरे ओर 'अति-विकलांग' के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस रूढ़िवादिता का तात्पर्य है कि विकलांग व्यक्तियों में असाधारण वीरतापूर्ण क्षमताएँ होती हैं जो उनके गरिमापूर्ण व्यवहार के योग्य होती हैं। उदाहरण के लिए, यह धारणा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों में उन्नत स्थानिक इंद्रियां हैं, सभी पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि जिनके पास दृष्टि दोष की भरपाई करने के लिए ऐसी उन्नत महाशक्तियां नहीं हैं, वे किसी भी तरह से आदर्श से कम हैं।

(vii) निर्णय लेने वाले निकायों को भागीदारी के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। 'नथिंग अबाउट अस, विदाउट अस' का सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसरों के समानता पर आधारित है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और नियमों के तहत फिल्मों के समग्र संदेश और व्यक्तियों की गरिमा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए वैधानिक समितियों के गठन और विशेषज्ञ राय आमंत्रित करने में इसका अभ्यास किया जाना चाहिए;

(viii) सी.पी.आर.डी. को इसके अनुरूप चित्रण को प्रोत्साहित करने के उपायों के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों के साथ परामर्श और भागीदारी की भी आवश्यकता है। विकलांग वकालत समूहों का सहयोग सम्मानजनक और सटीक चित्रण पर अमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि

सामग्री विकलांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों के साथ संरेखित हो; और

(ix) लेखकों, निर्देशकों, निर्माताओं और अभिनेताओं सहित दृश्य मीडिया सामग्री बनाने में शामिल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों को सार्वजनिक धारणाओं और विकलांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों पर उनके चित्रण के प्रभाव पर जोर देना चाहिए। विषयों में विकलांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धांत, सम्मानजनक भाषा का महत्व और सटीक और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। नियमित कार्यशालाएं और विकलांग वकालत समूहों का सहयोग जिम्मेदार चित्रण के लिए एक गहरी समझ और प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे सकता है।

75. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा। जुर्माने के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
76. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

*मामले का परिणाम:* अपील का निपटान किया गया।

*\*द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:* अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Disclaimer:** *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*